Industrial safety rules in factories

2595. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Industrial safety rules ignored in Durgapur area", which appeared in the Statesman, Calcutta edition, dated the 22nd June, 1987; and

(b) if so, what steps are contemplated to ensure implementation of safety rules in the factories under the Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The Factories Act, 1948 lays down the provisions for ensuring safety in manufacturing processess. The responsibility for enforcement of the Factories Act lies with the State Government/Administrations of the Union Territories. The Central Government also issues guidelines to the State Government/Union Territory Administration from time to time regarding enforcement of safety provisions and meeting emergencies. The provisions contained in the Factories Act are applicable to all factories covered by the Act irrespective of the fact whether the factory is owned by the Central Government or State Government or by any other agency.

दिल्ली में इण्डेन गैस के वितरक

2596. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में इण्डेन गैस वितरकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन वितरकों के नाम और पते क्या हैं ;

(ग) ऐसे वितरकों की संख्या कितनी है जिनकी दैनिक सप्लाई "रिफिल्स" की कमी होने के कारण मात्र 20 सिलैंडर ही हैं ;

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित वितरकों में से कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें इस कारण से अधिक सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं की जा रही हैं क्योंकि उनके पास अपेक्षित घरेलू उपभोक्ता कार्ड नहीं हैं, यदि हां, तो क्या उन वितरकों के घरेलू उपभोक्ता कार्डों को अपेक्षित संख्या में बढाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में इस समय इण्डेन के 114 वितरक हैं ।

(ख) वितरकों के नाम और पते अनुबन्ध में दिये गए हैं । देखिये [परिशिष्ट CXLIII अनुपत्र संख्या 104] ।

(ग) से (ङ) केवल एक ही ऐसा वितरक है जिसको रिफिलों की दैनिक बिक्री 20 सिलिण्डरों से कम है । इस वितरक के उपभोक्ताओं की संख्या को बढाने के लिए आई ओ सी कार्यवाही कर रहा है ।

Oil exploration in off-shore blocks

2597. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Government have decided to offer eight offshore blocks for oil exploration to foreign companies; and

(b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor?